अपहरण का झूठा केस किया तो होगा मुकदमा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

दूसरों से दुश्मनी साधने के लिए अपहरण का फर्जी केस करने वालों की अब शामत आने वाली है। ऐसे मामलों में पुलिस वादी बनेगी और झूठा मुकदमा करने वालों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगी और मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी। बिहार पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।

ताजा मामला शेखपुरा के ग्रामीण इलाके के रहने वाले सुबोध पाण्डेय का है। पंचायत चुनाव में हार का बदला लेने के लिए शेखपुरा के सुबोध ने अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली थी। छोटे-मोटे व्यवसायी सुबोध के अपरहण की खबर जैसे ही टीवी चैनलों पर ब्रेक हुई मुंगेर के डीआईजी से लेकर स्पेशल ब्रांच के एसपी तक को वहां कैम्प करने के लिए भेजा गया। 21 सितम्बर को शेखपुरा में मुकदमा भी दर्ज हो गया। तीन-चार दिनों के भीतर धनबाद से सुबोध की बरामदगी भी हो गई। लेकिन जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सुबोध ने पंचायत चुनाव में अपनी हार का बदला लेने और एक व्यक्ति को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। उसकी योजना धनबाद से बड़हिया लौटकर पुलिस को यह बताने की थी कि वह अपहर्ताओं के चंगुल से बचकर भाग निकला। बड़हिया में ही उसे केस भी करना था।

डीजीपी अभयानंद के अनुसार पुलिस ने मामले की तफ्तीश और अपहरण की इस साजिश के रहस्योद्घाटन के बाद सोमवार को सुबोध के खिलाफ सीजेएम की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों को अब तार्किक अंत तक पहुंचाएगी ताकि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों को भी सजा दिलायी जा सके।

रहें सावधान

- दुश्मनी साधने के लिए फर्जी केस करने वालों की अब आएगी शामत
- पुलिस वादी बनेगी व उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगी
- शेखपुरा के सुबोध पाण्डेय के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा